(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library *See* No. LT-/98]

IV. (a) Forty-seventh Annual Report and Accounts of the Silk and Art Silk Mills Research Association, Mumbai, for the year 1996-97, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Association.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-198]

V. (a) Annual Report and Accounts of the Textile Committee, Mumbai, for the year 1996-97, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Committee.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-/98]

VI. (a) Thirty-second Annual Report and Accounts of the Wool Research Association, Thane, for the year 1996-97 together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Association.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-/98]

VII.(a) Annual Report and Accounts of the Indian Silk Export Promotion Council, Mumbai, for the year 1996-97, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. LT-/98]

VIII.(a) Eleventh Annual Report and Accounts of the National Institute of Fashion Technology, New Delhi, for the year 1996-97 together with the Audit Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. /98]

Memorandum of Understanding (1998-99) between Govt. of India (Ministry of Tourism and India Tourism Development Corporation Ltd).

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS WITH ADDITIONAL CHARGE OF TOURISM SHRI MADAN LAL KHURANA: On behalf of Shri Omak Apang I lay on the table, a copy (in English and Hindi) of the Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Tourism and India Tourism Development Corporation Limited, for the year 1998-99.

[Placed on Library. See No. LT. /98]

MOTION FOR ELECTION TO THE COMMITTEE ON OFFICIAL LANGUAGE

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): श्रीमन, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं: —

"राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा श्री इकबाल सिंह और श्री के॰ आर॰ जयदेवप्पा के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थानों के लिए राजभाषा समिति का सदस्य होने के लिए सभा के सदस्यों में से दो सदस्यों को समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

The question was put and the motion was adopted.

MOTION FOR ELECTION TO THE CENTRAL ADVISORY COMMITTEE FOR THE NATIONAL CADET CORPS

THE MINISTER OF DEFENCE SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, I move the following Motion:—

"That in pursuance of clause (i) of sub-section (1) read with sub-section (1A) of section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from among the Members of the House to be a member of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps".

The question was put and the motion was adopted

SPECIAL MENTIONS

Ban on Purchase of Ordinary Salt

डॉ॰ महेश चन्द्र शर्मा (राजस्थान): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछली 28 तारीख से इस देश में सामान्य नमक को बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी गई है और ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि हिन्दुस्तान का हर दुकानदार आयोडाइज्ड नमक रखेगा और हिंदुस्तान का आम नागरिक आयोडाइज्ड नमक के पैकेट ही खरीदेगा। इस आदेश की यदि अवहेलना हुई तो अवहेलना करने वाले को दंडित किया जाएगा और वह दंड होगा एक हजार रुपया जुर्माना या फिर सज़ा। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पांच हज़ार साल से इस देश का आम आदमी सामान्य नमक खा रहा है और उसे खा कर हम लोग इस देश में स्वस्थ है लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी हैं कि देश और दुनिया के सारे ही उपभोक्ता बाजारों पर बड़ी-बड़ी देशी और विदेशी कंपनियां अपना एकाधिकार जमा रही हैं और इन बड़ी-बड़ी देशी-विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को पुष्ट करने वाले कानून सरकारें भी पारित कर देती हैं। महोदय, मुझे आश्चर्य है और दुख भी है कि भारत की सरकार ने इस प्रकार का नोटिस कैसे निकाला जिसके कारण से हिन्दुस्तान का आम आदमी सामान्य नमक खाय तो अपराधी हो जाए। मान्यवर, हम सबको ध्यान है कि नमक का हमारी आजादी के आन्दोलन से खास लगाव है। नमक बनाकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। नमक हिन्दुस्तान के आम आदमी की जरूरत है और इसलिए आज तक भी नमक पर भारत में कोई कर नहीं लगाया गया है आज भी नमक की ढुलाई रेल्वे से रियायती दरों पर होती है और इसलिए हिन्दुस्तान के आम आदमी को आज के मुकाबले चार-पांच साल पहले तक 50 पैसे प्रति किलो में नमक प्राप्त होता था और आज से बाध्य किया जा रहा है कि वह उन बड़ी-बड़ी कम्पनियों का नमक खरीदें जो लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके, विज्ञापन करके लोगों को सम्मोहित करना चाहती हैं और एक किलो, आधा किलो का पैकेट बेचती हैं। हिन्दुस्तान का वह आदमी जो रोजाना मसाला खरीदकर सब्जी बनाता है, वह पांच रुपये किलो नमक खरीदकर अपनी सब्जी में डाले.....

एक माननीय सदस्य: आठ रुपये किलो।

डॉ॰ महेश चन्द्र शर्मा: महोदय, मैं अपनी गैर जानकारी के लिए क्षमा चाहता हूं। पांच रुपये नहीं, आठ-दस रुपये किलो नमक खरीदकर कैसे वह अपनी सब्जी और चटनी को नमकीन बना सकता है। महोदय, अच्छा तो यह होता है शासन परिवर्तन के साथ ही इस लोक विरोधी कानून को समाप्त कर दिया जाता। यह एक अजीब प्रकार का ढोंग है। आयोडाइज्ड नमक की कल्पना, हम सब जानते हैं कि नमक में आयोडीन की कमी होती है तो अनेक प्रकार के रोग होते हैं, घेंघा हो जाता है, प्रसूता स्त्रियों के अनेक रोग हो जाते हैं। लेकिन भारतवर्ष के तीन ओर समुद्र हैं। समुद्र के किनारे कहीं भी आयोडीन की कमी नहीं होती है। भारत का उत्तर भारत का वह छोटा सा प्रदेश है जहां आयोडीन की कमी होती है और वहां भी महोदय, जितने सर्वेक्षण हुए हैं, उन सर्वेक्षणों के हिसाब से बहुत थोड़े लोग, यानी 0.2 प्रतिशत लोगों को इस प्रकार के रोगों की जानकारी मिली है। निश्चय ही इन रोग ग्रस्त क्षेत्रों में आयोडाइज्ड नमक की व्यवस्था करवानी चाहिए। वहां के लोगों में प्रचार भी करना चाहिए परन्तु हिन्दुस्तान के सौ करोड़ लोगों को इसके लिए बाध्य कर दिया जाए कि वह आयोडाइज्ड नमक खरीदें, यह कल्पना मैं समझता हूं कि बिना सिर-पैर की है। इसका विरोध किया जाना चाहिए। महोदय, हम तो तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं विश्व का कोई देश ऐसा नहीं है जहां आयोडाइज्ड नमक को इस प्रकार कानून से पाबंद कर दिया गया हो कि वही खाना होगा। यह हमारे मौलिक अधिकारों पर भी आघात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक प्रक्रिया का उल्लेख करना यहां आवश्यक नहीं है। पश्चिम के देशों में टेबल पर नमक रखा जाता है पर हिन्दुस्तान में नमक टेबल पर नहीं रखा जाता। हिन्दुस्तान में जब सब्जी बनती है तब नमक उसमें डाल दिया जाता है। महोदय, गरमी पड़ने पर आयोडीन उड़ जाता है, उसमें नहीं रहता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आगामी कुछ दिनों में संपूर्ण देश में इस संबंध में आक्रोश व्याप्त होने वाला है इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह तत्काल हस्तक्षेप करके इस कानून को पूरे तौर पर रद्द कर दे। धन्यवाद।

सभापति: श्री राघवजी।

प्रो॰ राम कापसे (महाराष्ट्र): सर, इसी विषय पर मेरा